



सं०सी- 5079 /1979
सेवा में,

दिनांक: 08 अक्टूबर, 2021

अपर महासर्वेक्षक: दक्षिणी क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र/ विशिष्ट क्षेत्र/मुद्रण क्षेत्र ।
निदेशक: कर्नाटक भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/गुजरात दमन एवं दीव भू-स्थानिक आंकड़ा
केन्द्र/ज्योड्रीय एवं अनुसंधान शाखा/पूर्वी मुद्रण वर्ग ।

विषय: प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति/तैनाती ।

निम्नलिखित अवर श्रेणी लिपिकों को प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर
बतन मैट्रिक्स के लेवल 4 में नियमित आधार पर पदोन्नति पर स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये
जाते हैं:-

क्र० सं०	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती	टिप्पणी
1.	Shri A.S.James (PH)	K GDC, Bangaluru	K GDC, Bangaluru	--
2.	Shri Rati Lal (ST)	GDD GDC, Gandhinagar	GDD GDC, Gandhinagar	--
3.	Shri Raj Tomar	G&RB, Dehra Dun	G&RB, Dehra Dun	--
4.	Smt. Sutapa Ghosh	EPG, Kolkata	EPG, Kolkata	--

2. उपरोक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी तथा इन
आदेशों को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए । उपरोक्त
कर्मचारियों से यह स्पष्ट रूप से लिखित में ले लिया जाये कि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति स्वीकार
करते हैं अथवा अस्वीकार करते हैं, जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को
दिनांक 07-11-2021 तक अवश्य सूचित करें । यदि इस पत्र के जारी होने की तारीख से
1 माह के भीतर सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा पदोन्नति की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति इस
कार्यालय में प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि वह पदोन्नति अस्वीकार करते
हैं ।

3. उपरोक्त कर्मचारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे स्थानान्तरण पर
पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक वर्ष
की अवधि तक पदोन्नति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा और उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी
तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय जापन
सं०22011/5/86-स्था०(डी०) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों के अनुसार उन से कनिष्ठ को उच्च ग्रेड
में पदोन्नत कर दिया जाएगा ।

4. अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों के कास्ट स्टेटस (Caste Status) के पुनः
सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्रवाई सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर
की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात यदि उक्त व्यक्ति
अनुसूचित जाति/जन जाति से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत
कर दिया जायेगा ।

क्रमशः.....2/-


Shil

5. *The promotion orders according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*

6. इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान रखा जाये कि यदि उपरोक्त कर्मचारियों में से किसी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया से संबंधित मामला कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं। यदि सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया लम्बित होने पर भी उपरोक्त आदेश प्रभावी किये जाते हैं तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित निदेशक का होगा।

7. उपरोक्त कर्मचारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ0आर022(I)(a)(1) के अधीन अपना विकल्प एक माह के भीतर देना होगा तथा यदि उपरोक्त कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी को MACP योजना के अन्तर्गत एफ0आर022(I)(a)(1) का लाभ मिल चुका है तो पदोन्नति पर उनका वेतन निर्धारण तदनुसार किया जाना होगा।

8. पदोन्नत सभी अर्थार्थियों से संलग्न Undertaking प्राप्त कर ले तथा अधिलेख में रखे।


(डा० यू०एन० मिश्र) 9/1/21
उप महासर्वेक्षक
कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपि:

1. अपर महासर्वेक्षक, तकनीकी, म०स०का०।
2. उप महासर्वेक्षक: सतर्कता, म०स०का०/प्रशासन, म०स०का०/एच०आर०, म०स०का०/तकनीकी, म०स०का०।
3. लेखाधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून।
4. लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जयपुर/हैदराबाद/कोलकाता।
5. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-2/कार्य अध्ययन एकक/जे०सी०एम० अनुभाग (म०स०का०)।
6. महासचिव मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, देहरादून।
7. गोपनीय सहायक (म०स०का०)।
8. इंचार्ज, वेब एडमिन।
9. इंचार्ज, ई-ऑफिस।

UNDERTAKING

1. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases.

Place:

Date:

Signature:

Name:

Address of Office:

COUNTERSIGNED BY ADDL SG/DIRECTOR

वचन पत्र

1. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court casesके निर्णय का पालन करूँगा ।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर:

कर्मचारी का नाम:

कार्यालय:

अपर महासर्वेक्षक/निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित